APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – कानिया

सुश्री राधिका पुत्री इन्द्रकुमार दरोगा जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति पूजा पत्नि इन्द्र कुमार दरोगा, निवासी– कानिया

बनाम

श्रीमति सुनीता पत्नि अनिल कुमार कोली, निवासी 427 जोवियर स्कूल के सामने वार्ड न0–37, अजमेर

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए. रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 16/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कानिया पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/2, व 1/2 हिस्सा वादीया व प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 का है। वादग्रस्त आराजी वादीया के दादा प्रतिवादी संख्या–2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर उक्त आराजी पर वादीया व प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में आराजी प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम पर होने से प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 इस संयुक्त आराजी को बिना विभाजन करवाये ही बैचान करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नही है अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या– 2 के खाते से वादीगण को उसके निहित हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित फरमाया जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या– 2 शंकरलाल का 1/2 हिस्सा था, खातेदार शंकरलाल ने अपना निहित हिस्सा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि को चन्द्रप्रकाश पिता जगदीश प्रसाद वैष्णव को दिनांक 30.12.2011 को 2,65,000 में सौदा कर 50,000 नकद प्राप्त कर लिये तथा शेष राशि वक्त जमीन को नपवाकर, पत्थर लगाकर कब्जा सौंपने का इकरार किया था । शंकरलाल ने उक्त इकरार की पालना नही की और रजिस्ट्री नही कराने पर चन्द्रप्रकाश द्वारा एक वादपत्र बाबत संविदा की पालना का सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 24.05.2016 को चन्द्रप्रकाश के पक्ष में डिक्री किया था। न्यायालय के आदेशानुसार शंकरलाल ने दिनांक 30.05.2017 को चन्द्रप्रकाश के हक में विक्रय पत्र पंजीवृद्व करवा दिया गया है। वकील प्रतिवादी का यह भी कथन था कि	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी का वादीया के जन्म से पूर्व ही शंकरलाल के द्वारा विक्रय कर विक्रय का आशिंक प्रतिफल प्राप्त कर चूका है। शंकरलाल का कोई मालिकाना हक ही नही रहा तो वादीया का वादग्रस्त आराजी में कोई हित निहित नही हुआ और न हो सकता है। अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सिविल न्यायालय के आदेशानुसार चन्द्रप्रकाश पिता जगदीश प्रसाद के नाम वादीया के दादा शंकर लाल के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीवृद्व करवा दिये जाने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 मौजा कानिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 2136 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि सुरेशचन्द्र पिता रामनिवास कुमावत साकिन बिजयनगर 1/2, शंकर लाल पिता गोपाल दारोगा 1/2, खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादीया का कथन है कि वह खातेदार शंकरलाल की पोती है, इसलिये उसका भी वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित है। किन्तु अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करायी गई है जिससे यह प्रकट हो कि वादीया खातेदार शंकरलाल की पोती हो। साथ ही शंकर लाल अभी जीवित है, तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.05.2017 के अनुसार मौजा कानिया की आराजी नम्बर– 2136 रकबा 05 बीघा के 1/2 हिस्सा 02 बीघा 13 बिस्वा शंकरलाल पिता गोपाल लाल दरोगा निवासी कानिया के हक हिस्से की भूमि को माननीय अपर जिला न्यायालय गुलाबपुरा के द्वारा चन्द्रप्रकाश पिता जगदीश प्रसाद वैष्णव निवासी कानिया के हक में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीवृद्व होना प्रकट है, ऐसी स्थिति में शंकरलाल के हक हिस्से में कोई भूमि शेष नही रहने से दावा वादी खारिज योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner